



एसिड अटैक: सामाजिक एवं विधिक परिप्रेक्ष्य

सुश्री प्रीती पटेल

शोध केन्द्र :- बाबू जगजीवन राम इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ.

डॉ मन्जू कौर

विभाग - बाबू जगजीवन राम इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ.

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.18266734>

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 30-12-2025

Published: 10-01-2026

Keywords:

एसिड अटैक, लैंगिक हिंसा, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, विधिक प्रावधान, धारा 326A एवं 326B, पीड़ित पुनर्वास, न्यायपालिका, महिला सुरक्षा

ABSTRACT

भारत में महिलाओं पर हो रहे अम्लीय (एसिड) हमलों में हाल के वर्षों में चिंताजनक वृद्धि हुई है, जो न केवल एक गंभीर अपराध है बल्कि महिलाओं की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और जीवन की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव डालता है। यह हमला अक्सर अस्वीकार किए गए प्रेम प्रस्ताव, विवाह से इनकार, दहेज विवाद, या बदला लेने की भावना से प्रेरित होता है। पीड़ित महिलाएं न केवल शारीरिक रूप से अपंग हो जाती हैं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से भी पीड़ा झेलती हैं। हालांकि भारत सरकार ने एसिड हमलों को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए हैं, जैसे कि आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 के तहत धारा 326A और 326B की व्यवस्था, लेकिन इन हमलों की घटनाएं अभी भी जारी हैं। इसके पीछे सामाजिक मानसिकता, कानून का कमजोर क्रियान्वयन और पीड़िता को न्याय दिलाने में होने वाली देरी मुख्य कारण हैं। यह समस्या केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार की भी मांग करती है जिसमें लैंगिक समानता, महिलाओं की सुरक्षा और मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है।

प्रस्तावना

एसिड अटैक एक विश्वव्यापी समस्या है जो किसी भी उम्र, जाति और धर्म के बावजूद सभी को प्रभावित करती है। यह महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा का सबसे जघन्य रूप है। अपराधी का उद्देश्य पीड़ित को मारना नहीं बल्कि उसे दयनीय स्थिति में छोड़ना होता है। शरीर पर लगी चोटें ठीक हो जाती हैं और न केवल शरीर पर



बल्कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व पर निशान छोड़ जाती हैं। अधिकांश देशों में पुरुष पीड़ित आमतौर पर प्रभावित होते थे, लेकिन बांग्लादेश, ताइवान, कंबोडिया और यूएसए (न्यूयॉर्क) में महिलाएं सबसे आम शिकार थीं। हाल के दिनों में दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा हर मंच पर चर्चा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है। मौजूदा कानूनों और एसिड की ओवर काउंटर बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद, यह भयानक अपराध भारत में बढ़े पैमाने पर बढ़ रहा है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने २०१४ में एसिड हमले के ४५ मामले दर्ज किए। २०१५ में, पूरे भारत से २४९ मामले सामने आए, जिनमें से ६१ मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए। दुनिया भर की महिलाओं की तुलना में, भारत में महिलाओं को एसिड हमलों का शिकार होने का अधिक खतरा है, भारत में रिपोर्ट किए गए एसिड हमलों में से ७२% महिलाएं शामिल हैं। भारत में, प्रति वर्ष कानूनी रूप से लगभग ३५० मामले रिपोर्ट किए जाते हैं, जबकि एक संगठन एसिड सर्वाइवर्स फाउंडेशन इंडिया द्वारा किए गए अलग शोध में, अप्रतिबंधित घटनाओं को छोड़कर, भारत में प्रति वर्ष लगभग ५००-१००० मामले होने का अनुमान लगाया गया है। एसिड हिंसा से निरंतर आधार पर निपटने के लिए कोई विश्वसनीय राष्ट्रीय डेटाबेस नहीं है क्योंकि कई मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं।

महिलाएं समाज की एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे एक वे समाज की जननी हैं लेकिन दुर्भाग्य से उनके खिलाफ की गई विभिन्न क्रूरताओं के नाम पर उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। जब भी कोई पितृसत्तात्मक समाज की घटिया स्थिति के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला करती है तो वह विभिन्न तरीकों से उन्हें त्याग दिया जाता है या तो एसिड से शारीरिक शोषण से या फिर उसे जलाकर मार डाला जाता है।

भारत में महिलाओं पर पिछले दशक में विशेष रूप से एसिड हमले की खतरनाक वृद्धि देखी जा रही है एसिड हिंसा आमतौर पर महिलाओं के खिलाफ किया जाने वाला एक जघन्य अपराध है जिसके इरादे से उसे विकृत या मार डालते हैं। इसके मुताबिक महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा भी कहा जा सकता है।

भारतीय महिला आयोग के अनुसार एसिड हमला किसी भी रूप में एसिड फेंकने या किसी भी रूप में एसिड का उपयोग करने का कोई भी कार्य है। हमला के इरादे से या इस ज्ञान के साथ कि ऐसे व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कारित करने की संभावना है ऐसे व्यक्ति के शरीर के किसी हिस्से में स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति या विकलांगता होता है।

अनुसंधान से पता चलता कि है भारत में एसिड हमले के 78 प्रतिशत मामले शादी से इंकार करने या रोमांस को ठुकरा जाने के कारण होते हैं। एसिड युवा महिलाओं पर हमला दैनिक समाचार पत्रों में छपने वाली कुछ सुर्खियां हैं। आज वर्तमान में एसिड हमला महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सस्ते एसिड की आसान



उपलब्धता अपराधियों को इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करती है महिलाओं के खिलाफ यह एक आदर्श हथियार है इन हमलों में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम प्रकार के एसिड में शामिल हैं: सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आदि एसिड के हमले से शायद ही कभी मरता है

लेकिन यह मनोवैज्ञानिक और सामाजिक घाव गंभीर शारीरिक कारण बनता है, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 2013 के पारित होने के साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशानिर्देश, नियम सख्त हो गए हैं। लेकिन 2014 का सर्वे रिपोर्ट किए गए एसिड हमले के मामलों की कुल संख्या में 300 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हमारी विधिक और चिकित्सा प्रणालियों ने ऐसे मामलों से निपटने में भी काफी कमजोर साबित हुए हैं। भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की रिपोर्ट की गई घटनाओं में 15.3% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2011 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 228,650 से अधिक रिपोर्ट की गई घटनाएं थीं, जबकि 2021 में 4,28,278 रिपोर्ट की गई घटनाएं थीं, जो 87% की वृद्धि थी।

अटैक के कारण

• पुरुष प्रधान समाज

प्राचीन काल में महिलाओं को पिता की संपत्ति माना जाता था, बाद में वह पति की संपत्ति बन गई, जिसने उसे पिता से उपहार के रूप में प्राप्त किया, और जब वह विधवा हो गई तो बेटा ही उसकी रक्षा और नियंत्रण करता था।

ऐसे समाज में जहाँ महिलाओं को हमेशा पुरुषों द्वारा नियंत्रित किया जाता रहा है, पुरुषों को 'नहीं' सुनने की आदत नहीं होती है। कुछ मामलों में एक महिला द्वारा अस्वीकृति का पुरुषों के दिमाग पर बहुत गहरा और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिन्हें हमेशा इस पुरुष-प्रधान समाज में हावी होने के लिए कहा जाता है और उन्हें इस सबसे भयावह तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करता है और इसका परिणाम एसिड अटैक के मामले होते हैं।

• एसिड की सस्ती और आसानी से उपलब्धता

एसिड अटैक के मामलों के प्राथमिक कारणों में से एक बाजार में एसिड की आसान उपलब्धता है। लोग इसे फार्मेशियों, खुले बाजारों, सुनार की दुकानों, ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकानों आदि से बिना ज्यादा प्रयास के आसानी से खरीद सकते हैं। कई लोग इसे अपने घरों में एक सामान्य सफाई एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार, यह आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा, यह सस्ता भी है और आम आदमी की पहुंच में भी है।

• घरेलू हिंसा

सुश्री प्रीती पटेल, डॉ मन्जु कौर



घर के भीतर हिंसा उन प्रमुख कारणों में से एक है जो परिवार के सदस्यों द्वारा कमजोर और प्रताड़ित महिलाओं पर एसिड फेंकने के लिए जिम्मेदार है। इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं द्वारा किसी बात से इनकार करने या उनके मुखर स्वभाव को पति या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अवज्ञा और विद्रोहीपन के रूप में लिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप ऐसी पीड़ादायक और दर्दनाक घटनाएं होती हैं। यह दहेज लाने, बच्चा पैदा करने में असमर्थता, आज्ञा मानने से इनकार, यौन संबंध बनाने से इनकार, संदेह, संपत्ति विवाद, पारिवारिक मतभेद आदि से संबंधित हो सकता है।

• साथियों की ईर्ष्या

ईर्ष्या एक और महत्वपूर्ण कारक है जिसके परिणामस्वरूप ऐसी भयानक घटनाएं हुई हैं। इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में, हर कोई दूसरे व्यक्ति से आगे निकलना चाहता है और आगे रहना चाहता है। यह व्यवसाय, सेवा क्षेत्र या शिक्षा क्षेत्र में हो सकता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बहुत तेज गति से आगे बढ़ते और आगे बढ़ते नहीं देख सकता। ऐसी घटनाएं महज ईर्ष्या के कारण होती हैं और सिर्फ दूसरे व्यक्ति के उज्ज्वल और समृद्ध करियर को झटका देने और रोकने के लिए इन तरीकों को नियोजित किया गया है।

• अस्वीकार

ठुकराए गए तथाकथित प्रेमियों द्वारा बदला यह पीड़ित पर तेजाब फेंकने का एक प्रमुख कारण है। अपराधी को पीड़ित पर तेजाब फेंकने और निंदा के प्रति प्रतिशोध की भयावह भावना को संतुष्ट करने में मुश्किल से कुछ पल लगते हैं। ये लोग यह समझने में विफल रहते हैं कि वे जो सबक सिखा रहे हैं वह अस्थायी नहीं है, बल्कि स्थायी है जो न केवल महिला की सुंदरता को खराब करता है बल्कि उसके पूरे जीवन पर विनाशकारी प्रभाव डालता है।

• परिवार के सम्मान की रक्षा करना

परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए, लोगों ने इस तरह के बर्बर कृत्यों का सहारा लिया है और महिलाओं को परिवार के स्वीकृत मानदंडों और जातीयताओं के खिलाफ प्रतिशोध करने से रोकने के साधन के रूप में तेजाब का इस्तेमाल किया है।

एसिड हमलों के परिणाम:

• शारीरिक परिणाम:



एसिड त्वचा और मांस को परत दर परत जलाता है, जिससे बहुत दर्द और चोट लगती है। यह त्वचा की दो परतों को खा जाता है, नीचे की चर्बी और मांसपेशियों को और कभी-कभी हड्डी तक पहुँच जाता है, यह हड्डी को भी गला सकता है। चोट की गंभीरता एसिड की मांसपेशियों और त्वचा के संपर्क की अवधि पर निर्भर करती है - जलन तब तक जारी रहती है जब तक एसिड को पानी से अच्छी तरह से धोया नहीं जाता। इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति के चेहरे पर फेंका जाता है, तो एसिड तेजी से आँखों, कानों, नाक और मुँह को खा जाता है। दर्द बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि तेज जलन पीड़ित के शरीर को गर्म चाकू की तरह काटती है। पलकें और होंठ पूरी तरह से जल सकते हैं। नाक पिघल सकती है, नथुने बंद हो सकते हैं और कान सिकुड़ सकते हैं। एसिड तेजी से आँख को नष्ट कर सकता है, जिससे पीड़ित अंधा हो सकता है। खोपड़ी, माथे, गाल और ठोड़ी की त्वचा और हड्डी पिघल सकती है। एसिड आमतौर पर गर्दन, छाती, पीठ, हाथ या पैरों पर छलकता या टपकता है, जहाँ भी छूता है वहाँ जलन होती है। एक अध्ययन में पाया गया कि औसतन, एसिड अटैक से पीड़ित मरीज़ के शरीर का 14% हिस्सा जल गया, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हिस्से थे चेहरा (87% पीड़ित), सिर और गर्दन (67%), ऊपरी अंग (60%) और छाती (54%)। लगभग एक तिहाई पीड़ित (31%) पूरी तरह या आंशिक रूप से अंधे हो गए।

• मनोवैज्ञानिक परिणाम:

पीड़ित को मनोवैज्ञानिक आघात तब होता है जब उसे लगता है कि उसकी त्वचा जल गई है और हमले के बाद उसे विकृत और अक्षम कर दिया गया है, जिसे उसे अपने जीवन के बाकी हिस्सों में सहना होगा। पीड़ितों को होने वाली कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याओं में अनिद्रा, बुरे सपने, अवसाद, दुनिया का सामना करने का डर, सिरदर्द, थकान, अन्य एसिड हमलों का डर शामिल हैं। वे निराश और चिंतित भी महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे समाज से बहिष्कृत हो गए हैं। पीड़ित का जीवन पटरी से उतर जाता है क्योंकि हर बार जब वह आईने में देखती है तो उसे अपनी वर्तमान असुरक्षा के साथ-साथ भविष्य की निराशा की याद आती है।

• सामाजिक और आर्थिक परिणाम:

जो पीड़ित विवाहित नहीं हैं, उनकी शादी होने की संभावना नहीं है क्योंकि वे अंधेपन, बहरेपन और कई अन्य कठिनाइयों जैसी कई विकलांगताओं से पीड़ित हैं और हमारे समाज की मानसिकता इतनी व्यापक नहीं है कि वे एक विकलांग व्यक्ति को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकें। उन्हें योग्य होने के बावजूद नौकरी भी नहीं मिलती क्योंकि वे अपने नियोक्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। उनकी मदद करने के बजाय, हम उनके जीवन को और अधिक कष्टमय बनाते हैं, क्योंकि हम उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं क्योंकि हम लंबे समय तक उनके चेहरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। हालाँकि, इस दृष्टिकोण



को बदलने की आवश्यकता है क्योंकि वे अपने गलत कामों के लिए नहीं बल्कि समाज में खुलेआम घूम रहे कुछ जंगली जानवरों की गलती के कारण पीड़ित हैं।

भारत में एसिड हमले के कानूनी परिप्रेक्ष्य:

भारत में, अक्सर एसिड अटैक की घटनाएं भारतीय मीडिया की सुर्खियाँ बनती हैं। दुर्भाग्य से भारत में, अपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 के पारित होने से पहले एसिड अटैक से निपटने के लिए कोई अलग कानून नहीं था। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 320, 322, 325, 326 और 307 के तहत अपराध दर्ज किया गया था।

• भारतीय न्याय संहिता धारा 320 - गंभीर चोट:

केवल निम्न प्रकार की चोटों को "गंभीर" के रूप में नामित किया गया है: - सबसे पहले - नपुंसकता। दूसरी - किसी भी आंख की दृष्टि का स्थायी रूप से वंचित होना। तीसरी - किसी भी कान की सुनने की क्षमता का स्थायी रूप से वंचित होना। चौथी - किसी भी अंग या जोड़ का वंचित होना। पांचवीं - किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का विनाश या स्थायी रूप से क्षीण होना। छठी - सिर या चेहरे का स्थायी रूप से विकृत होना। सातवीं - हड्डी या दांत का फ्रैक्चर या अव्यवस्था। आठवीं - कोई भी चोट जो जीवन को खतरे में डालती है या जिसके कारण पीड़ित बीस दिनों तक गंभीर शारीरिक दर्द में रहता है, या अपने सामान्य कार्यों को करने में असमर्थ होता है।

• भारतीय न्याय संहिता धारा 322 - स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना:

जो कोई स्वेच्छा से उपहति कारित करता है, यदि वह उपहति, जिसे वह कारित करने का आशय रखता है या स्वयं जानता है कि वह कारित करने वाला है, घोर उपहति है, और यदि वह उपहति, जिसे वह कारित करता है, घोर उपहति है, तो "स्वेच्छा से घोर उपहति कारित करता है" कहा जाता है। स्पष्टीकरण - किसी व्यक्ति के बारे में यह नहीं कहा जाता है कि वह स्वेच्छा से घोर उपहति कारित करता है, सिवाय इसके कि जब वह घोर उपहति कारित करता है और साथ ही वह घोर उपहति कारित करने का आशय रखता है या स्वयं जानता है कि वह ऐसा करने वाला है। लेकिन वह स्वेच्छा से घोर उपहति कारित करता है, यदि वह एक प्रकार की घोर उपहति कारित करने का आशय रखता है या जानता है कि वह ऐसा करने वाला है; वह वास्तव में दूसरी प्रकार की घोर उपहति कारित करता है।

• भारतीय न्याय संहिता धारा 325 - स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए सजा:



जो कोई, धारा 335 (उत्तेजना पर स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) द्वारा उपबंधित मामले को छोड़कर, स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाएगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

- **भारतीय न्याय संहिता धारा 326 - खतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना:**

जो कोई, धारा 335 द्वारा उपबंधित मामले के सिवाय, गोली चलाने, छुरा घोंपने या काटने के किसी उपकरण द्वारा, या किसी ऐसे उपकरण द्वारा, जिसका प्रयोग अपराध के हथियार के रूप में करने से मृत्यु हो जाने की संभावना हो, या आग या किसी गर्म पदार्थ द्वारा, या किसी विष या संक्षारक पदार्थ द्वारा, या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा, या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा, जिसका श्वास लेना, निगलना या रक्त में मिल जाना मानव शरीर के लिए हानिकारक हो, या किसी पशु द्वारा, स्वेच्छा से घोर उपहति कारित करेगा, उसे आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

- **भारतीय न्याय संहिता धारा 307 - हत्या का प्रयास:**

जो कोई कोई कार्य ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से किसी की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा, और यदि ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है, तो अपराधी या तो आजीवन कारावास या ऐसे दंड के लिए उत्तरदायी होगा जैसा कि इसमें पूर्व में वर्णित है। आजीवन कारावास के दोषियों द्वारा प्रयास - जब इस धारा के तहत अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा के अधीन है, तो उसे, यदि चोट पहुंचती है, तो मृत्यु दंड दिया जा सकता है। 2 अप्रैल 2013 को, भारतीय दंड संहिता को 'दंड कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013' के पारित होने के साथ संशोधित किया गया था। संशोधन के परिणामस्वरूप विशेष रूप से एसिड हिंसा से निपटने के लिए धारा 326 ए और 326 बी को सम्मिलित किया गया।

- **भारतीय न्याय संहिता धारा 326 ए में कहा गया है:**

जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी अंग या अंगों को स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति पहुंचाता है, या जलाता है, अपंग बनाता है, विकृत या अक्षम बनाता है या उस व्यक्ति पर तेजाब फेंककर या तेजाब पिलाकर या किसी अन्य साधन का उपयोग करके गंभीर चोट पहुंचाता है, जिसका उद्देश्य या यह ज्ञान है कि वह ऐसी चोट या क्षति पहुंचा सकता है, तो उसे कम से कम दस वर्ष की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकता है, और जुर्माना लगाया जाएगा। बशर्ते कि ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा सुश्री प्रीती पटेल, डॉ मन्जू कौर



उपचार के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त और उचित होगा और इस धारा के तहत लगाया गया कोई भी जुर्माना पीड़ित को दिया जाएगा।

- **भारतीय न्याय संहिता धारा 326 बी में कहा गया है:**

जो कोई किसी व्यक्ति पर एसिड फेंकता है या फेंकने का प्रयास करता है या किसी व्यक्ति को एसिड देने का प्रयास करता है, या किसी अन्य तरीके का उपयोग करके उस व्यक्ति को स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति या जलन या विकलांग या विकृति या विकलांगता या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, तो उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जो पांच साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो सात साल तक बढ़ सकती है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।

तालिका 1 पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में एसिड हमलों की घटनाएं

क्र. सं.	वर्ष	एसिड हमले की घटनाएं
1	2019	244
2	2020	228
3	2021	240
4	2022	182
5	2023	176

पुलिस की संवेदनहीनता और न्याय प्रक्रिया में देरी

पुलिस अधिकारी पीड़ितों को एक संदिग्ध रूप से देखते हैं, हमले से पहले उनके कार्यों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि अपराधी के कृत्यों के बजाय उनकी किसी गलती के कारण हुआ है। न्यायपालिका भी इस मामले में अच्छा प्रदर्शन नहीं है, पीड़ितों द्वारा दायर किए गए मामलों में वर्षों लग जाते हैं, अदालतों का एक कार्य जिसमें मामलों का एक बड़ा बैकलॉग होता है और अभियोजन पक्ष भी मामले को समय और ऊर्जा समर्पित करने के लिए बोझ होते हैं। इस समय तक, पीड़ितों से आर्थिक रूप से खुद की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है, एक ऐसा कार्य जो तब असंभव हो जाता है जब पीड़ित गरीबी के पृष्ठभूमि से आता है।

चुनौतियां

भारत में एसिड हमले से संबंधित चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जैसे एसिड हमला में जलने की तीव्रता की गणना की जा सकती है लेकिन इससे होने वाले नुकसान और दर्द पीड़ित और उसके या उसके परिवार के कष्टको मापा नहीं जा सकता। एसिड हमला में अपराधी नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं जो त्वचा को आसानी से जला सकता है और जिससे हड्डियाँ पिघल जाती हैं। घटनाओं के बाद कभी-कभी पीड़ित को प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता होती है जो बहुत महंगी हाती है और आम लोगों लिए वहन करना संभव नहीं है। इसलिए एसिड हमला न केवल प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि पीड़ितों के मानवाधिकार या मौलिक अधिकार का उल्लंघन लेकिन यह चिकित्सकीय व्यवसायियों के लिए बड़ी चुनौती है हमले के शिकार की सेवा करने और उसकी स्थिति को बहाल करने के लिए।

चिकित्सा उपचार के मुद्दे

एसिड अटैक की घटनाओं में चिकित्सा उपचार सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू होता है। पीड़िता के जीवन को बचाने, दर्द को कम करने और दीर्घकालिक शारीरिक विकलांगता को रोकने के लिए त्वरित और प्रभावी उपचार आवश्यक है। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर उपचार से जुड़े कई गंभीर मुद्दे देखने को मिलते हैं:

1. प्राथमिक चिकित्सा की कमी

अधिकांश मामलों में घटना स्थल पर लोगों को एसिड हमले के दौरान प्राथमिक चिकित्सा देने के तरीकों की जानकारी नहीं होती। आमतौर पर पीड़ित को तुरंत साफ पानी से धोना आवश्यक होता है, लेकिन अनभिज्ञता के कारण यह सही रूप में नहीं हो पाता, जिससे क्षति और बढ़ जाती है।

2. अस्पताल में तत्काल उपचार की अनिवार्यता की उपेक्षा

सरकार तथा न्यायालयों द्वारा स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद, कई अस्पताल एसिड अटैक पीड़ितों को प्राथमिकता देने या निःशुल्क उपचार प्रदान करने से कतराते हैं। कई बार पीड़ित को अस्पतालों में गंभीर स्थिति के बावजूद भर्ती करने में देरी का सामना करना पड़ता है।



3. उपचार की उच्च लागत

एसिड अटैक का उपचार अत्यंत महंगा होता है। बार-बार सर्जरी, त्वचा प्रत्यारोपण, लंबे समय तक दवाइयाँ, परामर्श और पुनर्वास (rehabilitation) पर बहुत अधिक खर्च आता है। अधिकांश पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आती हैं, जिससे उनका उपचार अधूरा रह जाता है।

4. विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता का अभाव

गंभीर जलन और प्लास्टिक सर्जरी के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों का अभाव एक प्रमुख समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह समस्या और भी गंभीर है, जहाँ अत्याधुनिक उपचार सुविधाएँ उपलब्ध नहीं रहतीं।

5. मनोवैज्ञानिक उपचार की कमी

एसिड अटैक केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक आघात भी उत्पन्न करता है। कई पीड़ितों को लंबे समय तक अवसाद, भय, आत्म-सम्मान में कमी और सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन अस्पतालों में मनोवैज्ञानिक परामर्श की अनिवार्य सुविधा अक्सर अनुपस्थित रहती है।

6. पुनर्वास सेवाओं का अभाव

चिकित्सा उपचार के बाद भी लंबे समय तक फिजियोथेरेपी, स्किन केयर, मानसिक स्वास्थ्य समर्थन और सामाजिक पुनर्वास की आवश्यकता होती है। लेकिन सरकारी स्तर पर इन सेवाओं का समुचित प्रावधान न होना पीड़ितों के जीवन को अत्यंत कठिन बना देता है।

7. मुआवजा और सरकारी सहायता प्राप्त करने में कठिनाई

कई राज्यों में मुआवजे की व्यवस्था है, लेकिन इसे प्राप्त करना जटिल प्रक्रिया है। फाइलों का लंबा चलना, सत्यापन में देरी और दस्तावेजों की मांग पीड़ितों को और अधिक परेशान करती है।

निष्कर्ष

भारत में महिलाओं पर बढ़ते अम्लीय हमले समाज में व्याप्त विकृत मानसिकता, लैंगिक असमानता और कमजोर कानून व्यवस्था का प्रतीक हैं। यह न केवल पीड़िता के शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उसकी आत्मा, आत्मविश्वास और सामाजिक पहचान को भी गहरा आघात देता है। सरकार द्वारा बनाए गए कठोर कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद इस प्रकार के हमलों में गिरावट नहीं आई है, जो इस बात का संकेत है कि केवल कानूनी उपाय पर्याप्त नहीं हैं। समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता की भावना का विकास आवश्यक सुश्री प्रीती पटेल, डॉ मन्जू कौर



है। इसके लिए व्यापक जन-जागरूकता, नैतिक शिक्षा, त्वरित न्याय प्रक्रिया, पीड़ितों के लिए पुनर्वास एवं आर्थिक सहायता और एसिड की खुली बिक्री पर सख्त नियंत्रण जैसे उपायों को प्रभावी रूप से लागू करना होगा। साथ ही, स्कूलों और समुदायों में संवेदनशीलता बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा ताकि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं आता और समाज महिलाओं को समान अधिकारों और अवसरों के साथ नहीं देखता, तब तक इस घिनौने अपराध पर पूरी तरह से रोक लगाना संभव नहीं होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- अग्रवाल, एस. (2018). भारत में एसिड अटैक: एक सामाजिक एवं कानूनी अध्ययन. *भारतीय विधि जर्नल*, 12(3), 45-52.
- मिश्रा, आर. (2020). महिलाओं पर अम्लीय हमलों की बढ़ती घटनाएँ: कारण और निवारण. *समाज विज्ञान समीक्षा*, 8(1), 30-38.
- शर्मा, पी. (2019). एसिड अटैक: पीड़िताओं की स्थिति एवं पुनर्वास की चुनौतियाँ. *महिला अध्ययन पत्रिका*, 5(2), 60-67.
- गुप्ता, एन. (2021). भारत में एसिड की आसान उपलब्धता और इसके दुष्परिणाम. *कानूनी दृष्टिकोण*, 9(4), 72-79.
- सिंह, ए. (2017). एसिड हमले: एक महिला विरोधी हिंसा का चेहरा. *भारतीय समाज और कानून*, 6(1), 22-29.
- भारतीय महिला आयोग. (2020). महिलाओं पर एसिड हमले: आंकड़े एवं सिफारिशें. नई दिल्ली: भारतीय महिला आयोग प्रकाशन.
- चक्रवर्ती, डी. (2016). एसिड अटैक पीड़िताओं की सामाजिक पुनर्वास प्रक्रिया. *समाज और नीति*, 4(3), 88-94.
- राज, के. (2022). महिलाओं की सुरक्षा और एसिड हमलों के विरुद्ध नीति विश्लेषण. *नारी शक्ति शोध पत्रिका*, 10(2), 15-23.
- वर्मा, एस. (2018). एसिड अटैक कानून और न्यायिक प्रक्रिया: एक विश्लेषण. *कानून और समाज*, 7(2), 41-48.
- भारत सरकार. (2019). एसिड अटैक से संबंधित विधिक प्रावधान और दिशा-निर्देश. नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय.



- कुमारी, एल. (2021). एसिड हमले की पीड़ित महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श की भूमिका. *नारी विमर्श*, 3(1), 55-61.
- खान, एन. (2020). महिला अपराधों में एसिड अटैक का उभरता रूप. *अपराध विज्ञान अध्ययन*, 6(1), 33-39.
- जोशी, वी. (2017). एसिड अटैक पीड़िताओं के अधिकार और न्याय तक पहुँच. *मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य*, 2(4), 19-26.
- त्रिपाठी, आर. (2022). एसिड हमले और मीडिया की भूमिका: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. *समकालीन सामाजिक चिंतन*, 11(3), 65-72.
- दत्त, एस. (2018). भारत में महिलाओं पर एसिड अटैक के बढ़ते मामले: एक नीति मूल्यांकन. *नीति और विकास शोध पत्रिका*, 5(2), 50-58.